अनुबंध V

फॉर्म III – समाधान (रेकन्सिलीऐशन) प्रमाणपत्र

[बैंक के लेखा परीक्षकों के पत्र शीर्ष पर]

सेवा में,

लेखापरीक्षित बैंक का पता

हम, (बैंक के लेखा परीक्षक [आंतरिक/समवर्ती] विवरण) जिन्हें आगे "बैंक के लेखा परीक्षक" के रूप में संदर्भित किया गया है, को (बैंक का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय उपर्युक्त पते पर है, द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 और भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित परिपत्र - के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ------- को समाप्त छमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में दाखिल रिटर्न ("विवरण") के विवरण वाले समाधान प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने का अनुरोध किया गया है।

i. दिनांक 25 जून 2025 का परिपत्र विवि.एसओजी (डीईए निधि) संख्या 37/30.01.002/2025-26

2. लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दाखिल विवरणी को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार बैंक द्वारा सही ढंग से संकलित किया गया है अथवा नहीं।

3. बैंक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं:

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दाखिल किए गए फॉर्म I और फॉर्म II में मासिक विवरण की प्रति

बी. बैंक की शाखाओं द्वारा ग्राहकों को किए गए निपटान का विवरण

सी. बैंक की अन्य बहियाँ और अभिलेख

4. हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएँ निष्पादित की हैं:

(ए) फॉर्म I और फॉर्म II का सत्यापन

(बी) नमूना आधार पर ग्राहकों को किए गए निपटान के संबंध में शाखाओं से प्राप्त विवरण का सत्यापन

(सी) मार्च....... /सितंबर ....को समाप्त छमाही के लिए शेष राशि के समाधान से संबंधित विवरण की जांच की गई, जो निम्नानुसार है:

(कृपया या तो सी.i अथवा सी.ii प्रमाणित करें और जो लागू न हो उसे काट दें)

i. यदि शेष राशि मेल खाती है

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा डीईए निधि में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अंतरित अदावी जमा राशि, जैसा कि बैंक के सामान्य खाता बही में दर्शाया गया है, डीईए निधि में रखी गई शेष राशि से मेल खाती है, जैसा कि 31-03-......... अथवा 30-09-......... को आरबीआई के डीईए निधि मॉड्यूल से तैयार फॉर्म I में दर्शाया गया है।

ii. यदि शेष राशि मेल नहीं खाती है

हमने पाया कि, बैंक के सामान्य खाता बही में दिनांक 31-03------- /30-09- ------- को दर्शाए गए अदावी जमा राशि का शेष रु. .... है, आरबीआई के डीईए फंड मॉड्यूल से उत्पन्न फॉर्म I में दर्शाए गए अनुसार डीईए निधि में रखे गए शेष में दर्शाए गए अदावी जमा राशि का शेष रु. 31-03----- /30-09- ---- को रु. .... है।

(डी) सत्यापित किया गया है कि विवरणियों को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार सही ढंग से संकलित किया गया है।

5. 31-03-........./30-09-......... की स्थिति के अनुसार बैंक की बहियों में दर्शाई गई डीईए निधि का शेष-.........निम्नानुसार है

(राशि करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	वर्तमान छमाही 31-03-वर्ष / 30-09-वर्ष	पिछला वर्ष 31-03- वर्ष / 30-09-वर्ष
1.	01-04-वर्ष/ 01-10-वर्ष को डीईए निधि का प्रारंभिक शेष		
2.	जोड़ें: वर्ष ------- की छमाही के दौरान डीईए निधि में अंतरित की गई राशि।		
3.	घटाएँ: वर्ष ------ की छमाही के दौरान दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि।		
4.	31-03-वर्ष / 30-09- वर्ष (1+2-3) को डीईए निधि अंतिम शेष (Closing balance)		

6. उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं, बैंक के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के अनुसार **बैंक*** **द्वारा डीईए निधि विवरण/प्रमाणपत्रों को सही ढंग से संकलित किया गया है/सही ढंग से संकलित नहीं किया गया है**।

7. यह प्रमाण पत्र पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
पंजीकरण संख्या (एफआरएन) और मुहर के साथ बैंक के लेखा परीक्षकों (आंतरिक / समवर्ती) के हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक :
यूडीआईएन / आंतरिक दस्तावेज़ पहचान संख्या:

बैंक अधिकारियों का विवरण (फॉर्म II के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अलावा):

	प्रथम अधिकारी	दूसरा अधिकारी
बैंक की मुहर के साथ हस्ताक्षर		
नाम		
पदनाम		
स्थान		
दिनांक		

* जो लागू न हो उसे काट दें